

से पत्रावली दिनांक ६ अक्टूबर २०१५।

६५ पत्रावली पेश हुई वकील पार्षिया उपस्थित विपक्षीयों
के सम्मन बाद तामिल होस्टेजिजि एडी मय डिलेवरी
रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शाह फाकिपा गया, विपक्षीयों
को खिल्ली धार ककु ककु कर आवाजे दिखायी जाने
के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफ
कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील
पार्षिया को आचम स्वीकार किया जाकर निष्पक्ष
से लिखा जाकर शाह फाकिपा गया। पत्रावली के सव
शुमार होस्टेजिजि से समती।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

